कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक 91 अ–82/वर्ष 2018–19 मौजा हिवरा/1102111/ बैतूल दिनांक 20 – 08–2018

प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक –1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची–1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(है0में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	मुलताई	हिवरा	12.335	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	छिंदी लघु जलाशय

अनुसूची – 2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	धनपालसिंह वल्द सोमलालसिंह इन्द्रेयसिंह वल्द धनपाल, राधेश्याम मधुरसिंह गौतमसिंह राजेश हरिशंकर गोपाल वल्द रामदयाल सोनम ना.बा. वली मां राधेश्याम तन्त्री बेवा रामदयाल रघुवंशी सा	1	10.469	0.300
		294	1.473	1.473
		296	2.351	1.926
2	बोन्द्रया वल्द किसन पता सा.देह	292/1	1.214	0.223
3	मदन उर्फ फकीर गन्नू व किसन सा. देह	292/2	1.068	0.130
4	रामभरोसे वल्द जसवन्त पंवार सा. देह	3/1	0.524	0.032
5	तुलसी जौ. कृष्णा पंवार सा.देह	291/1	1.214	0.089
6	चन्द्रकिशोर वल्द कमलकिशोर पंवार सा.देह	291/3	4.046	0.202
7	लालसिंह वल्द ज्ञानसिंह रघुवंशी सा. छिन्दी	297/1	1.280	1.280
8	गुलजारसिंह ज्ञानसिंह रघुवंशी सा. छिन्दी	297/2	1.213	1.213

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
9	ढोडी बेवा अल्पू भोजू, अभिराम, बाकेलाल वल्द अल्पू रेखा पिता अल्पू सरस्वती सुमरती बिलसी वल्द झबली श्यामवती पिता ढीमर सा.देह	299	2.549	1.028
10	नान्ही बेवा मोहनलाल लखन प्रीतम अंजू फुन्टू वल्द मोहनलाल बिरबती पिता मोहनलाल जाति मेहरा सा.देह	300/3	0.700	0.350
		300/5	0.780	0.780
11	शिवपाल वल्द फुस्या सा. देह ग्राम नौकर कोटवार	307/2	2.262	2.062
12	किसन, रतन वल्द छेदी, चती, सुकलो कचरा पिता छेदी मिट्ठन जौ. रतन महेरा सा.देह	300/4	0.406	0.406
		300/6	0.780	0.780
13	रामदीन, रामराव, मल्लू वल्द गुलाब तुलसीया पिता तुला सुरतलाल वल्द राधेलाल कृष्णा, रामकिशोर वल्द राधेलाल माहो बेवा राधेलाल सा.देह	2	0.061	0.061
	महायोग	**17**	**32.390**	**12.335**

1— चूंकि छिंदी जलाशय हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

2— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3— कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4— समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(शशांक मिश्र)
कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ0क्र0 91 अ–82/2018–19 मौजा हिवरा /10211/ बैतूल दिनांक 20 – 08–2018

प्रतिलिपिः–

1– उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

2– संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।

3– कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन की पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

4– प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।

5– प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

6– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

7– तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

8– जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित । प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।

9– सरपंच/सचिव ग्राम हिवरा ग्राम पंचायत खैरवानी तहसील मुलताई जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित ।

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग